HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 2806/2024

Shokeen S/o Suleman

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Ravindra Kumar Paliwal
For Respondent(s)	:	Mr. Tej Prakash Sharma, Spl. P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27/04/2026

योग्य अधिवक्ता अयाची/राज्य की ओर से प्रार्थना पत्र आई0ए0 01/2026 प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने बाबत् अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया है।

योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक का निवेदन है कि प्रकरण में वाहन संख्या–**RJ 02 GA 9285** को मादक पदार्थ के परिवहन में संलिप्तता के आधार पर जब्त किया गया था। उनका यह भी निवेदन है कि उक्त वाहन आज दिनांक तक कस्टडी में है। अतः जब्तशुदा संबंधित वाहन के निस्तारण के आदेश प्रदान किये जावें।

अपीलार्थी/अभियुक्त का कथन है कि जब्तशुदा वाहन की सही कीमत का आंकलन करने के पश्चात ही उसका निस्तारण किया जावे तथा अपील के निस्तारण व अपीलार्थी के दोषमुक्त होने पर अपीलार्थी/अभियुक्त संबंधित वाहन की नीलामी के पश्चात प्राप्त होने वाली राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

सुना गया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं कारणों को देखते हुए विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के

RAJASTHAN HIGH COURT

तहत संबंधित वाहन संख्या– **RJ 02 GA 9285** की नीलामी कार्यवाही अपने सुपरविजन में सम्पन्न करावें।

नीलामी के पूर्व संबंधित वाहन की कीमत का सक्षम वेल्यूवर से आंकलन कराकर उस तथ्य को अभिलेख पर लेने के पश्चात ही वाहन की नीलामी कार्यवाही सम्पन्न करावें।

प्रार्थनापत्र उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /100